राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1220/2014/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–चित्तौडगढ — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जय श्री कल्याण ट्रेडर्स
केली–तहसील–निम्बाहेडा,चित्तौडगढ — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री आशीष अग्रवाल
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक 11.04.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से अतिरिक्त आयुक्त अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 28/**वैट**/13–14/चित्तौडगढ में पारित आदेश दिनांक 07.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–प्रथम, वृत–चित्तौडगढ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित कर रू. 29,797/– व शास्ति रू. 1,84,200/–की गई है, को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.05.2013 को कपासन पुलिस थाने में वाहन संख्या आरजे–09–जीए–5843 को रोका गया। वक्त जांच वाहन में दले माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने बिल संख्या 7,8 व 9 दिनांक 16.05.2013 के जरिये 50 नोवा ब्रांड देशी घी कीमतन 208500/– में सुकुमाल ट्रेडिंग कम्पनी उदयपुर को विक्रय किया एवं बिल में 50 टिन देशी घी का ही भुगतान किया जाना अंकित है, इसी प्रकार विक्रय बिल क्रमांक 8 दिनांक 16.05.2013 के जरिये प्यारचन्द्र शान्तिलाल फतहनगर को 50 टिन नोवा देशी घी विक्रय किया गया जिसमें 50 टिन का भुगतान 208500/– किया जाना अंकित है, विक्रय बिल क्रमांक 9 दिनांक 16.05.2013 के जरिये पन्नालाल रामनाथ कपासन को 50 टिन नोवा ब्रांड देशी घी कीमतन 207750/– का विक्रय किया गया जिसमें 50 टिन का भुगतान किया जाना अंकित है, आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। मौके पर माल प्रभारी/वाहन चालक एवं गवाहों के समक्ष माल का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान 140 टिन नोवा ब्रांड देशी घी पाये गये जबकि संलग्न बिलों

के 150 टिन की बिक्री किया जाना अंकित है एवं 150 टिन की भुगतान की शर्त पर माल डिलीवरी अंकित है। उसके अतिरिक्त वाहन में 5 टिन अमूल ब्रांड देशी घी एवं 20 कटटे शक्कर के लदे पाये गये, जिसका कोई बिल/चालान मौके पर नहीं पाया गया तथ माल प्रभारी यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि उक्त माल किसे विक्रय किया गया है, कपासन–फतेहनगर एवं उदयपुर की आलोच्य तीनों फूर्मो को ही विक्रय किया है या किसी अन्य को। मौके पर वाहन को थाना कपासन में निरुद्ध किया गया। जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। इसी क्रम में मैसर्स पन्नालाल सुखाडिया मार्केट कपासन के स्वामी श्री अजय कुमार सोमनी पुत्र रामेश्वर लाल सोमानी के बयान लिये गये जिन्होनें अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि उन्होनें 50 टिन देशी घी नोवा ब्रांड खरीदने का कोई आर्डर नहीं दिया था तथा पूर्व में भी ब्रांड देशी घी का कोई कारोबार नहीं रहा है। अतः वाहन संख्या RJ09/GA5843 में उनके नाम से परिवहनित किये गये नोवा ब्रांड देशी घी से कोई लेना–देना नहीं है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि माल प्रभारी/वाहन चालक के कब्जे से नीमच से नया गांव (मध्य प्रदेश) वाहन संख्या आरजे09–जीए–5843 का नीचम से नया गांव हाईवे टोल नाका द्वारा जारी मासिक पास संख्या 915370379 की छाया प्रति पाई गई ,जिसमें उक्त मासिक पास दिनांक 15.04.2013 से 15.05.2013 के लिए मान्य था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वाहन नीचम से नया गांव स्थित टोल नाके से होकर निम्बाहेडा के बीच माल परिवहनित नियमित रूप से करता है। उक्त वाहन का स्वामी श्री अंकित अग्रवाल है जो मैसर्स जय श्री कल्याण ट्रेडर्स केली के मालिक श्री आशीष अग्रवाल के सगे भाई है एवं आशीष कुमार द्वारा संचालित कारोबार में हाथ बटांते हैं।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में व्यवहारी ने स्पष्ट किया है कि केली ग्राम जहां पर व्यवहारी ने अपनी फर्म का पंजीकरण करवा रखा है। उसकी भौगोलिक स्थिति नीमच एवं निम्बाहेडा के मध्य होकर सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित गांव है जिसका लाभ उठाकर मौके बे मौके नीमच से माल केली की फर्म जय श्री कल्याण ट्रेडर्स केली के बिलों के जरिये परिवहनित करता है एवं माल सुरक्षित पंहुचने पर बिलों को अपने स्तर पर नष्ट कर देता है और इसी कारण फर्म का पर्ण्यावर्त छिपाया जा रहा था। उक्त प्रकार से प्रस्तुत जवाब पर कर निर्धारण अधिकारी ने 145 टिन देशी घी कीमतन 594999/– रुपये एवं शक्कर 20 कटटा कीमतन 19000/– रुपये कुल 613999/– रुपये पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत 30 प्रतिशत से 184200/– रुपये शास्ति आरोपित की तथा देशी घी पर कर 5 प्रतिशत से 29750/– रुपये तथा शक्कर पर प्रवेश कर 0.25 प्रतिशत से 47/– रुपये निर्धारित करते हुए कुल मांग 213997/– रुपये की मांग सृजित कर

आदेश दिनांक 17.05.2013 पारित किया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2014 पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त कर अपील स्वीकार की है, जिससे असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.3014 विधि के विरूद्ध एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए सृजित मांग को अपास्त किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि नोटिस के जवाब में व्यवहारी स्वयं ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि कि केली ग्राम जहां पर व्यवहारी ने अपनी फर्म का पंजीकरण करववा रखा है। उसकी भौगोलिक स्थिति नीमच एवं निम्बाहेडा के मध्य होकर सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित गांव है जिसका लाभ उठाकर मौके बे मौके नीमच से माल केली की फर्म जय श्री कल्याण ट्रेडर्स केली के बिलों के जरिये परिवहनित करता है एवं माल सुरक्षित पंहुचने पर बिलों को अपने स्तर पर नष्ट कर देता है और इसी कारण फर्म का पर्ण्यावर्त छिपाया जा रहा है। उनका कथन है कि ऐसे तथ्य होने के बावजूद अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया है,जो पूर्णतः अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विभाग की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना आदेश पारित किए एवं बिना मांग पत्र तामील कराये ही शास्ति राशि वसूल की गई है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और नां ही फर्द पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये, जिससे वैट नियम 57(2)का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाकर शास्ति आदेश पारित किया गया है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया गया है, जो विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश तामील करवाये बिना ही प्रत्यर्थी व्यवहारी से मांग राशि वसूल की गई, जिसको उचित नहीं मानते हुए सृजित मांग को अपास्त किया है।

उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर को यथावत रखते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जिससे व्यथित होकर विभाग की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.05.2013 को पारित करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6)के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,84,200/– आरोपित की तथा 5 प्रतिशत की दर से कर रू. 29,750/–व शक्कर पर प्रवेश कर रू. 47/–आरोपित कर कुल रू. 2,13,997/–की मांग सृजित की है। मांग सृजित करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारणबताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसकी पालना में प्रस्तुत पर विचार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण विचार करने के पश्चात निष्कर्ष दिया है कि उपरोक्त वर्णित पत्रों के प्रत्युत्तर में वाणिज्यिक कर अधिकारी नीमच ने अपने पत्र क्रमांक 333 दिनांक 23.05.2013 के जरिये अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया कि कथित फर्म में अशोक एन्टरप्राइजेज नीमच (मध्य प्रदेश) एक पंजीकृत फर्म है किन्तु उक्त व्यवसाई केन्द्रीय विक्रय कर की धारा 7(2) के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसमें व्यापारी अन्य प्रांत से माल की खरीद कर सकता है किन्तु बिक्री नहीं कर सकता है उक्त पत्र की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रभारी वाणिज्यिक कर चैक पोस्ट नया गांव ने अपने पत्र क्रमांक 300 दिनांक 23.05.2013 द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया कि घी से सम्बन्धित बिल बिल्टी पर चेक पोस्ट की सील लगाकर वाहन को जाने दिया जाता है उक्त पत्र भी पत्रावली पर उपलब्ध है।

उक्त जारी सूचना पत्र दिनांक 31.05.2013 के सम्बन्ध में फर्म स्वामी एवं माल प्रभारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि. ने दिनांक 27.05.2013 को अपना जवाब प्रस्तुत किया एवं साथ में नीमच की कथित फर्म में अशोक एन्टरप्राइजेज द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, नीमच को उनके नोटिस के सम्बन्ध में उनके द्वारा की गई अन्तर्राज्यीय बिक्री दिनांक 01.04.2013 से 23.05.2013 तक का विवरण की छाया प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गई है, उक्त जानकारी वाणिज्यिक कर अधिकारी, नीमच से चाही गई थी किन्तु मैसर्स जय श्री कल्याण ट्रेडर्स केली के फर्म स्वामी ने अपने स्तर अपनी सुरक्षा के उद्धेश्य से नीमच की फर्म से उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है उसके दस्तावेजों की छाया प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत की है, जो अमान्य की जाती है, क्योंकि अशोक एन्टरप्राइजेज नीमच द्वारा दिनांक 01.04.2013 से 23.05.2013 तक जो अन्तर्राज्यीय बिक्री का चार्ट प्रस्तुत किया है। उसमें टैक्स के कॉलम में टैक्स फ्री वस्तुओं की बिक्री के सामने टेक्स फ्री दर्शाया है किन्तु मात्र देशी घी की प्रथम एवं अन्तिम बिक्री के सामने टैक्स के कालॅम में नेट शब्द लिखा है जो कि यह साबित नहीं करता है कि घी

की बिक्री सी फार्म पर 2 प्रतिशत सीएसटी रियायती कर दर पर की गई है अथवा नहीं। उक्त विवरण में 160 टिन देशी घी की कीमत 615288/– वर्णित की गई जबकि फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 22.05.2013 के साथ संलग्न अशोक एन्टरप्राइजेज नीमच के बिल क्रमांक 1462 दिनांक 11.05.2013 में 160 टिन देशी घी की विक्रय राशि 2 प्रतिशत सीएसटी जोडकर 627760 अंकित है इससे साफ जाहिर है कि नीमच की फर्म अशोक एन्टरप्राइजेज सीएसटी की धारा 7(1) के तहत पंजीकृत नहीं है। जैसा कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, नीमच ने अपने पत्र क्रमांक 333 दिनांक 23.05.2013 से सूचित किया है। अतः अशोक एन्टरप्राइजेज नीमच ने अपने फर्म ने प्रस्तुत अन्तर्राज्यीय बिक्री के विवरण में 2 प्रतिशत सीएसटी रियायती कर दर की स्थिति को जानबूझकर छिपाया है और वा.क.अ. नीमच को गुमराह करने का प्रयास किया है।

व्यवहारी ने दिनांक 11.05.2013 को कथित तौर पर दर्शायी नीमच के 160 टिन देशी घी की खरीद के पर नया गांव वाणिज्यिक कर चेक पोस्ट की छाप नहीं होना राज. वैट एक्ट का उल्लंघन नहीं बताया है किन्तु यदि व्यवहारी की करापवंचन की नियत नहीं होती और कर देयता को सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से निकटतम चेकपोस्ट पर मध्य प्रदेश से माल निकासी के वक्त घी के बिल की घोषणा कर चौकी की मोहर अंकित कराता तो ही उक्त संव्यवहार वैध माना जाता है। वैसे भी मध्य प्रदेश से विक्रय किये गये घी के दस्तावेजों का मध्य प्रदेश की. सीमा पर स्थित निकासी चेक पोस्ट पर घोषणा करने पर ही मध्य प्रदेश. राज्य का विक्रय कर सुनिश्चित होता है जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि परिवहनकर्ता दोनों ही राज्यों का कर की अपवंचना करना चाहता है चूंकि वाहन दिनांक 17.05.2013 को प्रातःकाल में पकडा गया, जबकि व्यवसायी द्वारा दिनांक 11.05.2013 का बिल manage किया जिसकी प्रविष्टि निकासी वा.क. चेकपोस्ट नया गांव पर पूर्व की तिथि दिनांक 11.05.2013 में इन्द्राज होना एवं मोहर लगवाना संभव नहीं होने से बिल होने से बिल बिना मोहर के ही पेश किये है। जिस माल की खरीद उंचति में है उस माल की बिक्री भी उचन्ति में करना व्यवसाई के लिये बाध्यकारी हो जाता है, एवं यही संव्यवहार से प्रकट होता है कि **क्योंकि मैसर्स पन्नालाल सुखाडिया मार्केट कपासन के स्वामी श्री अजय कुमार सोमनी पुत्र रामेश्वर लाल सोमानी के बयान लिये गये जिन्होनें अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि उन्होनें 50 टिन देशी घी नोवा ब्रांड खरीदने का कोई आर्डर नहीं दिया था तथा पूर्व में भी ब्रांड देशी घी का कोई कारोबार नहीं रहा है। अतः वाहन संख्या RJ09/GA5843 में उनके नाम से परिवहनित किये गये नोवा ब्रांड देशी घी से कोई लेना–देना नहीं है।** जांच के दौरान यह भी पाया गया कि माल

प्रभारी/वाहन चालक के कब्जे से नीमच से नया गांव (मध्य प्रदेश) वाहन संख्या आरजे09–जीए–5843 का नीचम से नया गांव हाईवे टोल नाका द्वारा जारी मासिक पास संख्या 915370379 की छाया प्रति पाई गई ,जिसमें उक्त मासिक पास दिनांक 15.04.2013 से 15.05.2013 के लिए मान्य था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वाहन नीचम से नया गांव स्थित टोल नाके से होकर निम्बाहेडा के बीच माल परिवहन नियमित रूप से करता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि माल का परिवहन करापवंचन की दोषी मानसिकता से किया जा रहा है, जिसके सम्बनध में कर निर्धारण अधिकारी ने अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.05.2013 में तथ्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए मांग सृजित की गई, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से बहस के दौरान यह भी कथन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई आदेश अथवा डिमाण्ड नोटिस तामील कराये सृजित मांग राशि उसी दिन अर्थात दिनांक 27.05.2013 को जरिए वैट –30 से रिसीप्ट संख्या 4180648 दिनांक 27.05.2013 को रू. 2,13,997/–प्रत्यर्थी व्यवहारी से वसूल लिये गये हैं। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 31.05.2013 को अपील प्रस्तुत की गई,जिसके साथ कर निर्धारण आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त अपील प्रस्तुत करने पर उसके साथ कर निर्धारण आदेश की प्रति नहीं होने से अपील कमी पूर्ति में रखी गयी। उक्त अपील की कमी पूर्ति करने हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 29.05.2013 को फैसले की कापी दिलवाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया,जिस पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने दिनांक 29.05.2013 को प्रमाणित प्रति जारी हो का रिमार्क अंकित किया है। इसके पश्चात दिनांक 03.06.2013 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी फैसले की कोपी देने बाबत(शास्ति आदेश) का निवेदन किया गया है,जिस पर भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी नियमानुसार प्रमाणित प्रति जारी की जावे का रिमार्क अंकित किया है। उक्त समस्त कार्यवाही का सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील से सम्बन्धित है क्योंकि यदि अपील प्रस्तुत करते समय विधिक प्रावधानों के अनुसार अपील आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उसकी पूर्ति करने हेतु समस्त दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है ।

उक्त तथ्य के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.05.2013 को पारित करने के पश्चात प्रतयर्थी व्यवहारी द्वारा डिमाण्ड नोटिस के साथ कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.05.2013 की प्रति जारी की गई, जो पत्रावली के पेज 14 पर उपलब्ध डिमाण्ड

नोटिस, जिस पर आशीष के हस्ताक्षर उपलब्ध है, से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है, इसलिए यह कहना कि उसे बिना डिमाण्ड नोटिस एवं कर निर्धारण आदेश की प्रति उपलब्ध कराये बिना ही मांग राशि वसूल की गई है, उचित नहीं है ।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर सन्देह होने पर माल का भौतिक सत्यापन किये जाने पर नोवा ब्रांड देशी घी के 140 टीन पाये गये जबकि प्रस्तुत बिलों में 150टीन की बिक्री किया जाना अंकित है। इसी प्रकार 150 टीन की भुगतान की शर्त पर माल डिलेवरी अंकित है। इसके अतिरिक्त वाहन में 5 टीन अमूल देशी घी एवं 20 कटटे शक्कर के लदान पाये गये,जिनका कोई विक्रय बिल/चालान आदि मौके पर नहीं पाया गया है। उपरोक्त विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने विस्तृत जांच के दौरान मैसर्स पन्ना लाल सुखाडिया मार्केट कपासन के बयान लेने पर उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि **मैसर्स पन्नालाल सुखाडिया मार्केट कपासन के स्वामी श्री अजय कुमार सोमानी पुत्र रामेश्वर लाल सोमानी के बयान लिये गये जिन्होनें अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि उन्होनें 50 टिन देशी घी नोवा ब्रांड खरीदने का कोई आर्डर नहीं दिया था तथा पूर्व में भी ब्रांड देशी घी का कोई कारोबार नहीं रहा है। अतः वाहन संख्या RJ09/GA5843 में उनके नाम से परिवहनित किये गये नोवा ब्रांड देशी घी से कोई लेना–देना नहीं है।** कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई जांच एवं उक्त बयानों से प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी बोगस व मिथ्या दस्तावेजों से माल का परिवहन करता है।

प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन के पश्चात कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.05.2013 पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है । इसके विपरीत अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए एवं प्रकरण के तथ्यों का विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2014 पारित है, जिसके किसी प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है और ना ही उसे स्पीकिंग आदेश कहा जा सकता है।

प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2014 को अपास्त करते हुए विभाग की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य